Indian J. Soc. & Pol. 08 (01) : 69-72 : 2021 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 January 2021 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

महात्मा गाँधी के नारी विषयक मतों का समीक्षात्मक अध्ययन

संजय शर्मा[1], अजय सिंह[2]
[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0, भारत
[2]विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, हण्डिया पी.जी. कालेज, प्रयागराज, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

भारतीय मूल्यों से ओत–प्रोत महात्मा गाँधी के विचारों में नैतिकता, पवित्रता व आध्यात्मिकता निहित है। छल–कपट से परे इस संत ने राजनीति में सत्य, अहिंसा, परस्पर प्रेम, भाईचारा व 'सर्वे भवन्ति सुखिनः' जैसे मूल्यों को समाहित किया। महिला उत्थान के हिमायती गाँधी जी ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों से युक्त करने की बात कही। गाँधी जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों की निन्दा की। महिला जीवन में खलल डालने वाली बुराइयों (दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा) की समाप्ति के लिए इन्होंने जीवन भर प्रयत्न किया। गाँधी जी के नारी विषयक विचारों का ज्ञान हमको उनके लिखित पत्रों, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया के माध्यम से होता है। गाँधी जी नारी को पुरुषों के समान बुद्धि वाली मानते हैं और समान महत्त्व प्रदान करने की बात करते हैं। उन्होंने माना है कि, ''नारी पुरुष की ऐसी सहचरी है जिसमें पुरुष के समान मानसिक क्षमताएँ हैं, उसे पुरुष की छोटी से छोटी गतिविधि में सहभागी होने का अधिकार है और पुरुष के समान ही अधिकार और स्वाधीनता प्राप्त है। जिस तरह पुरुष को अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में सारे अधिकार प्राप्त हैं उसी तरह स्त्री को भी अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान/प्राप्ति का हक है। आत्मबलिदान के साहस के नजरिए से भी नारी पुरुष से उसी तरह श्रेष्ठतर है जिस प्रकार पाशविक शक्ति में पुरुष आगे है। अगर ताकत का मतलब नैतिक शक्ति से है तो नारी पुरुष से कई गुना अधिक श्रेष्ठतर है। क्या सहनशीलता में वह श्रेष्ठतर नहीं होती? क्या साहस में वह श्रेष्ठतर नहीं होती? उसके बिना पुरुष का अस्तित्त्व संभव नहीं है। अगर अहिंसा हमारे अस्तित्त्व का नियम हो, तो मानवता का भविष्य नारी ही होगी

KEYWORDS: *महात्मा गांधी, नारी, नारीवाद, गांधीवाद*

आज उच्च सूचना काल में नारी की स्थिति व भूमिका को लेकर तरह–तरह की चर्चा होती है। महिलायें स्वतन्त्र नहीं है। महिलाओं को वही हक मिलना चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त है। दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, निर्धनता, निरक्षता, घरेलू हिंसा, बलात्कार, अपहरण, जिंदा जलाना, कोख को राड से चीरना जैसे जघन्य अपराध नारी जीवन में खलल डाल रहे हैं। समाज से जब तक इस तरह की कुरीतियों और क्रूर व्यवहारों का खात्मा नहीं होगा, स्त्री उत्थान संभव नहीं है।

महात्मा गाँधी (1869–1948) को राष्ट्रपिता की ख्याति अर्जित है। आज वर्तमान सदी में इनके विचार रुचि के विषय है। वर्तमान विश्व में व्याप्त सभी समस्याओं के निदान के लिए हम गाँधी दर्शन की ओर रुख करते हैं। गाँधी जी के कार्यों व विचारों पर गौर करें तो दो बातें सामने आती है – प्रथम : देश की जनता में राजनीतिक चेतना का संचार करना और दूसरा : मानव जाति को अहिंसा रूपी हथियार प्रदान करना। गाँधी जी मानव मात्र के प्रति सोचते हैं। वह सभी मत–मतान्तरों से परे हैं। साथ ही यह भी सच है कि वे हिन्दू धर्म के प्रति निष्ठावान है।

महिलाओं के संदर्भ में गाँधीवादी दृष्टिकोण को लेकर काफी वाद–विवाद हुआ है। 'वीणा मजूमदार (1976) और देवकी जैन (1986) तथा अन्य ने गाँधी को एक ऐसे बड़े मुक्तिदाता के रूप में देखा है जिसने स्त्रियों की प्रस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए एक क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाया।'(मजूमदार, 1986) मालविका कारलेकर (1991) का मत है कि महात्मा गाँधी ने एक नव–नारीत्त्व की परम्परा का आविष्कार किया। गाँधीवादी महिला को कार्रवाई, प्रतिरोध और परिवर्तन की एक सकारात्मक छवि बनाने के लिए अपने पारम्परिक गुणों का उपयोग करना होता है। आत्म–निरीक्षण और विश्लेषण की गाँधीवादी विधि अब स्त्रियों के आन्दोलन ने अपना ली है जो प्रतिबद्ध रूढ़िबद्धता की सार्वभौमिकता को नकारती है।'(कारेलकर, 1991) मधु किश्वर (1985) का कहना है कि, ''गाँधी जी का स्त्रियों की समस्याओं के प्रति एक सर्वाधिक चिरस्थाई योगदान यह था कि उन्होंने इसे एक नैतिक वैधता प्रदान की। सामाजिक जीवन में स्त्रियों के सम्मान को स्थापित करने में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनके द्वारा भाग लेने के प्रति कुछ पूर्वाग्रहों को तोड़ने में, उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपरक चेतना के वातावरण को बनाने में गाँधी जी के कार्यकलाप, उनके स्वयं के विचारों और समाज में स्त्रियों की भूमिका और स्थान के बारे में उनकी घोषणाओं से भी परे जाते हैं।''(किश्वर,1985) कुछ विचारकों की राय इसके ठीक विपरीत है। शाह (1984) का कहना है, 'गाँधी जी ने इस विचार का समर्थन किया कि स्त्रियों का प्राथमिक कार्य घर की देखभाल करना है।''(शाह,1984) संगारी और वैद (1989) का कहना है कि, 'गाँधी जी ने स्त्रियों के पितृसत्तात्मक उत्पीड़न के वर्ग आधारित रूपों के बारे में कभी प्रश्न खड़े नहीं किए।' सुजाता पटेल (1988) कहती है, ''गाँधी जी के 'स्त्रियों और नारीत्त्व के पुनर्निर्माण में स्त्रियों के शोषण के उद्भव और प्रकृति के संरचनात्मक विश्लेषण' पर ध्यान नहीं दिया गया है; वास्तव में गाँधी जी ने स्त्री का घर–परिवार में माँ और पत्नी के रूप में उनके स्थान पर जोर देने

1: Corresponding Author

के लिए तात्त्विक तर्क का प्रयोग किया है।'(पटेल,1988) घनश्याम शाह (2009) कहते हैं कि 'अनुभवजन्य अध्ययन बताते हैं कि कई संगठन जो गाँधीवादी रास्ते के अनुसरण करने का दावा करते हैं वे महिलाओं की पारम्परिक स्थिति जो कि पुरुष के अधीनस्थ की है, पर जोर देते हैं।'

गाँधी जी के नारी विषयक विचारों का ज्ञान हमको उनके लिखित पत्रों, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया के माध्यम से होता है। गाँधी जी नारी को पुरुषों के समान बुद्धि वाली मानते हैं और समान महत्त्व प्रदान करने की बात करते हैं। उन्होंने माना है कि, ''नारी पुरुष की ऐसी सहचरी है जिसमें पुरुष के समान मानसिक क्षमताएँ हैं, उसे पुरुष की छोटी से छोटी गतिविधि में सहभागी होने का अधिकार है और पुरुष के समान ही अधिकार और स्वाधीनता प्राप्त है। जिस तरह पुरुष को अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में सारे अधिकार प्राप्त हैं उसी तरह स्त्री को भी अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान/प्राप्ति का हक है। आत्मबलिदान के साहस के नजरिए से भी नारी पुरुष से उसी तरह श्रेष्ठतर है जिस प्रकार पाशविक शक्ति में पुरुष आगे है। अगर ताकत का मतलब नैतिक शक्ति से है तो नारी पुरुष से कई गुना अधिक श्रेष्ठतर है। क्या सहनशीलता में वह श्रेष्ठतर नहीं होती? क्या साहस में वह श्रेष्ठतर नहीं होती? उसके बिना पुरुष का अस्तित्त्व संभव नहीं है। अगर अहिंसा हमारे अस्तित्त्व का नियम हो, तो मानवता का भविष्य नारी ही होगी।'''(गांधी, 1934)

गाँधी जी की दृष्टि में नारी अबला नहीं है बल्कि अपनी शक्ति को पहचाने तो पुरुष से भी अधिक सबला है। वह माता के रूप में जिस रीति से बालक को गढ़ती है और पत्नी होकर जिस प्रकार पति को चलाती है बहुत करके पुरुष वैसे ही बनते हैं।'''(कशरूवाला, 1999) वह बताते हैं कि, ''नारी जाति में छिपी हुई अपार शक्ति उसकी विद्वता अथवा शरीर बल की बदौलत नहीं है, इसका कारण उसके भीतर भरी हुई उत्कट श्रद्धा भावना का वेग और त्याग शक्ति है। वह स्वभाव से ही कोमल और धार्मिक वृत्ति वाली होती है और पुरुष जहाँ श्रद्धा खोकर ढीला पड़ जाता है अथवा झूठे हिसाब लगाने में उलझा रहता है, वहाँ वह धीरज रख कर सीधे रास्ते पर स्थिर भाव से बढ़ती है।'''(वही) इस कारण से, ''नारी जाति को सार्वजनिक कार्यों में पुरुष के समान ही हाथ बँटाना चाहिए। मद्यपान निषेध, पतित नारियों के उद्धार आदि कितने ही कार्य हैं जिन्हें नारी ही अधिक सफलतापूर्वक कर सकती है।'''(वही)

सती प्रथा का तीव्रतम विरोध करते हुए गाँधी जी ने कहा – ''किसी स्त्री को उसके पति के साथ जल जाने की शिक्षा देना, मानवीय गरिमा के महत्त्व को भुला देना है। इस प्रथा में किसी व्यक्ति की पूजा को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया जाता है। एक निष्ठावान पत्नी का वास्तविक कर्तव्य तो यह है कि अपने पति के जीवन के कार्यों और लक्ष्यों को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात् कर ले। इस प्रकार वह जीवित रहते हुए ही, उस पति के प्रति निष्ठा और मानवीय गरिमा दोनों का निर्वाह करेगी और पति के प्रति उसका प्रेम व्यापक होकर ईश्वर के प्रति प्रेम में विलीन हो जाएगा।''

गाँधी जी इस बात को मानते हैं कि पुरुष ने नारी को गर्त में गिराया है। उसने नारी के स्वभाव को बदला है। उनके कथनानुसार, ''पुरुष ने स्त्री को कठपुतली समझ लिया है। स्त्री को भी इसकी आदत हो गयी है। उसको अपनी भूमिका में मजा आने लगा है, क्योंकि पतन के गर्त में गिरने वाला व्यक्ति किसी दूसरे को भी अपनी ओर खींच लेता है तो गिरने की क्रिया और सरल लगने लगती है।'''(हरिजन,25 जन 1936) नारी द्वारा पुरुष के लिए किए गए श्रृंगार को गलत मानते हैं। वह लिखते हैं, ''मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि सीता ने राम को अपने रूप सौन्दर्य से रिझाने पर एक पल भी नष्ट किया होगा। यदि मैंने स्त्री के रुप में जन्म लिया होता तो पुरुषों के इस दावे के खिलाफ विरोध कर देता कि स्त्री उसका मन बहलाने के लिए पैदा हुई है।'''(यंग इण्डिया, 21 जुलाई 1921) 'आदमी जितनी बुराइयों के लिए जिम्मेदार है, उनमें सबसे घटिया नारी जाति का दुरुपयोग है। वह अबला नहीं, नारी है। उन्होंने आगे लिखा था, 'स्त्री को चाहिए कि वह खुद को पुरुष के भोग की वस्तु मानना बंद कर दे। इसका इलाज पुरुषों के बजाय स्त्री के हाथ में ज्यादा है। उसे पुरुषों की खातिर – जिसमें पति भी शामिल है, सजने से इनकार कर देना चाहिए तभी वह पुरुष के साथ बराबर की साझेदारी बनेगी।''

गाँधी जी ने नारी को अपने अधिकार और कर्त्तव्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। वह कहते हैं, ''मेरा दृढ़ मत है कि इस देश की सही शिक्षा यही होगी कि स्त्री को अपने पति से भी 'न' कहने की कला सिखाई जाय। उसको यह बताया जाय कि वह अपने पति की कठपुतली या उसके हाथों की गुड़िया बनकर रहना उसके कर्तव्य का अंग नहीं है। उसके अपने अधिकार व कर्तव्य हैं।''

गाँधी जी 'बलात्कार' का विरोध करते हैं और यौगिकता की पवित्रता से इसको जोड़कर न देखने की बात करते हैं। ''दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब दुनिया भर के फौजी ''शत्रुदेश' की महिलाओं के साथ बलात्कार को युद्धनीति के रूप में स्वीकार कर चुके थे, उस दौरान फरवरी, 1942 में किसी महिला ने उसी संदर्भ में महात्मा गाँधी को पत्र लिखकर उनसे बलात्कार के बारे में तीन सवाल पूछे –

1. यदि कोई राक्षस–रूपी मनुष्य राह चलती किसी बहन पर हमला करे और उससे बलात्कार करने में सफल हो जाए, तो उस बहन का शील–भंग हुआ माना जाएगा या नहीं?
2. क्या वो बहन तिरस्कार की पात्र है? क्या उसका बहिष्कार किया जा सकता है?
3. ऐसी स्थिति में पड़ी हुई बहन और जनता को क्या करना चाहिए?''

इस प्रश्न का जवाब गाँधी जी ने दिया कि ''एक मार्च, 1942 को गुजराती 'हरिजनबंधु' में गाँधी जी ने इस पत्र का जवाब देते हुए लिखा – '...जिस पर बलात्कार हुआ हो, वह स्त्री किसी

भी प्रकार से तिरस्कार या बहिष्कार की पात्र नहीं है। वह तो दया की पात्र है। ऐसी स्त्री तो घायल हुई है, इसलिए हम जिस तरह घायलों की सेवा करते हैं, उसी तरह हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। वास्तविक शील–भंग तो उस स्त्री को होता है जो उसके लिए सहमत हो जाती है। लेकिन जो उसका विरोध करने के बावजूद घायल हो जाती है, उसके संदर्भ में शील–भंग की अपेक्षा यह कहना अधिक उचित है कि उसका बलात्कार हुआ। 'शील–भंग' शब्द बदनामी का सूचक है और इस तरह वह 'बलात्कार' का पर्याय नहीं माना जा सकता है। जिसका शील बलात्कारपूर्वक भंग किया गया है, यदि उसे किसी भी प्रकार निन्दनीय न माना जाए तो ऐसी घटनाओं को छिपाने का जो रिवाज हो गया है, वह मिट जाएगा। इस रिवाज के खत्म होते ही ऐसी घटनाओं के विरुद्ध लोग खुलकर चर्चा कर सकेंगे।''(हरिजन वन्धु, 1 मार्च,1942)

गाँधी जी 'बलात्कार के समय क्या करें?' अपने लेख में लिखते हैं – 'जिस स्त्री पर इस तरह का हमला हो, वह हमले के समय हिंसा–अहिंसा का विचार न करे। उस समय आत्मरक्षा ही उसका परम धर्म है। उस समय उसे जो साधन सूझे उसका उपयोग कर उसे अपने सम्मान और शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ईश्वर ने उसे जो नाखून दिए हैं, दाँत दिए हैं और जो बल दिया है वह उनका उपयोग करे। और उनका उपयोग करते–करते वह जान दे देगी। जिस स्त्री या पुरुष ने मरने का सारा डर छोड़ दिया है, वह न केवल अपनी ही रक्षा कर सकेंगे बल्कि अपनी जान देकर दूसरों की रक्षा भी कर सकेंगे।'''(वही)

गाँधी जी स्त्री को पुरुष के समक्ष लाने के लिए उनको शिक्षित करने की बात करते हैं। उनका कहना है, ''शिक्षा बलिदान की भावना एवं स्वयं अपनी गरिमा में आस्था स्त्रियों की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करते हैं।'' उनका आगे कहना है – ''स्त्री पुरुष की साथिन है, जिसकी बौद्धिक क्षमताएँ पुरुष की बौद्धिक क्षमताओं से किसी तरह कम नहीं हैं। पुरुष की प्रवृत्तियों में, उन प्रवृत्तियों के प्रत्येक अंग और उपांग में भाग लेने का उसे अधिकार है और आजादी तथा स्वाधीनता का उसे उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को है। जिस तरह पुरुष अपनी प्रवृत्ति के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान का अधिकारी माना गया है, उसी तरह स्त्री भी अपनी प्रवृत्ति के क्षेत्र में सर्वोच्च मानी जानी चाहिए। स्त्रियाँ पढ़ना–लिखना सीखें और उसके परिणामस्वरूप यह स्थिति आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तो हमारी सामाजिक व्यवस्था की सहज अवस्था ही होनी चाहिए। महज एक दूषित रूढ़ि और रिवाज के कारण बिल्कुल ही मूर्ख और नालायक पुरुष भी स्त्रियों से बड़े माने जाते हैं, यद्यपि वे इस बड़प्पन के पात्र नहीं होते और न वह उन्हें मिलना चाहिए। हमारे कई आन्दोलनों की प्रगति हमारे स्त्री समाज की पिछड़ी हुई हालत के कारण बीच में रुक जाती है। इसी तरह हमारे किए हुए काम का जैसा और जितना फल आना चाहिए, वैसा और उतना नहीं आता। हमारी स्थिति उस कंजूस व्यापारी के जैसी है, जो अपने व्यापार में पर्याप्त पूँजी नहीं लगाता और इसलिए नुकसान उठाता है।''

नारी अधिकारों की माँग को लेकर नारीवादी विचारधारा पुरुष प्रभुत्व, श्रम विभाजन आदि पर अनेक सवाल उठाती है। वह विवाह परिवार जैसी संस्था को भी संदेह के घेरे में रखती है। गाँधी के नारी संबंधी मतों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि गाँधी जी ने नारी उत्थान के लिए जो प्रयास किया वह सराहनीय है। उन्होंने नारियों में स्वाभिमान का भाव भरा। अहिंसक तरीके से विरोध की बात भी कही। उन्होंने समाज में मौजूद बुराइयों के निदान के लिए कार्य किया। उन्होंने एक ऐसी आदर्श व्यवस्था राम राज्य की बात कही जो सत्य अहिंसा पर आधृत हो। जिसमें सभी के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सभी स्त्री–पुरुष मिलजुल कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने–अपने कर्तव्यों का पालन करें।

REFERENCES

'यंग इंडिया', 21 जुलाई 1921, पृ. 229; प्रतिभा शर्मा, 'गाँधी ने कहा था – मैं अगर स्त्री होता तो पुरुषों के लिए श्रृंगार नहीं करता, अक्टूबर, 2018, https://hindi.news18.com देखा गया 6.11.2020

'हरिजन', 25 जनवरी, 1936, पृ. 396; प्रतिभा शर्मा, 'गाँधी ने कहा था – मैं अगर स्त्री होता तो पुरुषों के लिए श्रृंगार नहीं करता', अक्टूबर, 2018, https://hindi.news18.com देखा गया 6.11.2020

'हरिजनबन्धु' गुजराती, 1 मार्च 1942; प्रतिभा शर्मा, 'गाँधी ने कहा था – मैं अगर स्त्री होता तो पुरुषों के लिए श्रृंगार नहीं करता, अक्टूबर, 2018, https://hindi.news18.com देखा गया 6.11.2020

नवजीवन', 21 अप्रैल, 1921

कशरुवाला, किशोर लाल, (1999), *'गाँधी विचार दोहन'*, नई दिल्ली, सस्ता साहित्य मंडल, पृ. 42–43

महात्मा गाँधी, 'स्पीचेज एंड राइटिंग्स', वही, पृ. 425

प्रतिभा शर्मा, 'गाँधी ने कहा था – मैं अगर स्त्री होता तो पुरुषों के लिए श्रृंगार नहीं करता, अक्टूबर, 2018, https://hindi.news18.com देखा गया 6.11.2020

गाँधी, महात्मा (1934) *'स्पीचेज एंड राइटिंग्स',* मद्रास,, पृ. 423

शाह, कल्पना (1984) *वोमेन्स लिबरेशन एण्ड वालुएण्टरी एक्शन* देलही, अजन्ता पब्लिशर्स

वरलेकर, मालविका (1991) *हिन्दुइज्म रिविजेटेड, रेलिवेन्स आफ गांधी टूडे,* देलही, सेन्टर फार वोमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज,

मजूमदार, वीना (1986) *दी सोशल रिफार्म मूवमेंट इन इण्डियाः फ्राम रानाडे टू नेहरू इन इण्डियन वूमेन फ्राम पर्दा टू माडर्निटी* (संपा) बी आर नंदा, देलही, विकास पब्लिशिंग हाउस

किश्वर, मधु (1985) गांधी आन वोमेन, *इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली,* **20(40)** अक्टूबर, 5, 1985

पटेल, सुजाता कन्स्टक्शन एण्ड रीकन्स्टक्शन आफ वोमेन इन गांधी, *इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली,* **23(8),** 20 फरवरी 1988

शाह, घनश्याम (2009) *''भारत में सामाजिक आन्दोलन''*, सेज पब्लिकेशन पृ. 136

सांगरी,कुमकुम एण्ड वैद्य, सुरेश (1989) *रिकास्टिंग वोमेन एसेज इन कोलोनियल हिस्टी,* न्यू देलही, काली फार वोमेन